प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्याः– 71 /एल0बी0सी0/2024

दिनांक 18 मई 2024

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी प्रति इस कार्यालय मे प्राप्त हुई है।

उक्त के अनुपालन मे दिनांक 14.05.2024 को सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक आहूत की गयी, तथा उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को निर्देशित किया गया कि होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे का निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट को उपलब्ध करायी जाये (**कार्यवृत्त प्रति संलग्न–1**)।

उप जिलाधिकारी ऋषिकेश ने पत्र संख्या–100/एस0पी0ए0–विविध पत्रा–2024 दिनांक 16.05.2024 मे उल्लेख किया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 22.03.2024 के परिपालन में होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे का दिनांक 15.05.2024 को समय 11:00 बजें सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया आख्या निम्नवत् हैः–

बिन्दु स0 1– <u>होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे Flood plain Zone के अन्दर या बाहर हैः–</u>

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून ने कार्यालय पत्रांक 1141/सिं0ख0दे0/कैम्प दिनांक 16.04.2024 के द्वारा अवगत कराया कि होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे दोनों ही सम्पत्तियां जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश में गंगा नदी के दायें तट पर स्थित गंगा नदी बाढ़ परिक्षेत्र के प्रतिषिद्धि (25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति) एवं निर्बन्धित जोन (100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति) की सीमा से बाहर है **<u>संलग्न–02</u>** अधिसूचना सं0 727/ll(2)-2022,06 (18)2020 दिनांक 13 जुलाई 2022 एवं अन्तिम अधिसूचना सं0 41/ll(2)-2024-06 (18)2020 दिनांक 18 जनवरी 2024 **<u>संलग्न–03</u>** है।

बिन्दु स0 2– <u>होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे में सीवर का निस्तारण किस प्रकार किया जा रहा है, अगर होटलों में सेप्टिक टैंक/सोकपिट बना हुआ है, तो वह कितनी क्षमता का है</u>

उक्त के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता सब–डिवीजन (गंगा) उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश ने अपने कार्यालय पत्रांक 63/ऋषि0जलो0यो0/2024–25 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा फॉरेस्ट व्यू में सीवर लाइन न होने के कारण उक्त **होटल सीवर लाइन से संयोजित नही है।** होटल

के लीज ऑनर श्री रविकान्त राजपूत द्वारा अवगत कराया गया कि रूम नं0 01 के फर्श के नीचे सैप्टिक टैंक बना है, जिसके फर्श की टाइल्स को लीज ऑनर की अनुमति के उपरान्त तोडा गया, जिसमें पाया गया कि वहाँ पर सैप्टिक टैंक न होकर लगभग 2 फुट x 2फुट x 4फुट (ल0 x चौ0 x ग0) का चैम्बर बना है। उक्त चैम्बर का उत्प्रवाह रूम नं0– 05 के बाहर बरामदे की ओर जा रहा था तथा वहाँ पर भी टाइल्स तोडकर कवर हटाकर देखा गया। उक्त स्थान पर भी सैप्टिक टैंक न होकर लगभग 1 फुट x 1 फुट x 4 फुट का चैम्बर है। उसके उपरान्त लीज ऑनर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त चैम्बर से उत्प्रवाह रूम नं0 – 04 के बाथरूम के नीचे स्थित सैप्टिक टैंक में जा रहा है उक्त बाथरूम के फर्श की टाइल्स को तोडकर भी देखा गया वहाँ पर भी सैप्टिक टैंक नही था, अर्थात उक्त होटल के निरीक्षण के दौरान कोई **सैप्टिक टैंक दृष्यमान नहीं हुआ तथा न ही स्थल पर उपस्थित लीज ऑनर सैप्टिक टैंक दिखा पाये।** तत्पश्चात् उक्त होटल के सामने मैरीन ड्राई पर (गंगा नदी की ओर) निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान पाया गया कि वर्तमान में गंगा नदी के जल स्तर से ऊपर कोई सीवेज का उत्प्रवाह गंगा नदी में जाता हुआ दृश्यमान नही हुआ है।

हाईड आउट गंगा कैफे– उक्त कैफे के शौचालय को सीवर से जोड़ा गया है, जिसके बिल की मांग सं0 04916/NP3331 एवं उपभोक्ता सं0– RI22NPN02N23C010996572 है <u>संलग्न–04</u> ।

<u>बिन्दु स0 3– होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे का मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत है अथवा नहीं है</u>

उक्त के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण शाखा कार्यालय ऋषिकेश ने अपने पत्रांक 2281/विविध/24–25 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि होटल **गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे दोनों मालिकों द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं कराये गये है,** उक्त दोनों ही सम्पत्ति मालिकों को नोटिस भेजा गया कि दिनांक 16.05.2024 तक पीठासीन अधिकारी मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण शाखा कार्यालय ऋषिकेश को मय स्वीकृत मानचित्र सहित पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना सुनिश्चित करे। दिनांक 16.05.2024 तक कोई संतोषजनक कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया **जिस कारण दिनांक 16.05.2024 को स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण होटल गंगा फारेस्ट व्यू तथा हाईड आउट कैफे दोनो सम्पत्तियों को सहायक अभियन्ता मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण शाखा कार्यालय ऋषिकेश की टीम द्वारा सीलबन्द कर दिया गया है** <u>संलग्न–05</u> ।

<u>बिन्दु स0 04– होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे में जलापूर्ति किस प्रकार की जा रही है, यदि उनके द्वारा बोरवेल इत्यादि लगया गया है, तो उसकी स्वीकृति सम्बन्धित स्थानीय निकास/सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त है अथवा नहीं है</u>

उक्त के सम्बन्ध में जलकल अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश ने अपने पत्रांक 201/2024–25 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में निम्न प्रकार अवगत कराया गया है–

1– होटल गंगा फारेस्ट व्यू गली न0 06 वीरभद्र मार्ग ऋषिकेश को कोई विभागीय पेयजल संयोजन निर्गत नहीं है एवं स्थल पर भी **कोई विभागीय पेयजल संयोजन नहीं पाया गया है** गली न0 06 में एक निजी बोरवैल लगा हुआ है जिससे उक्त होटल द्वारा पेयजल आपूर्ति प्राप्त की जा रही है इस बोरवैल से उक्त होटल का संयोजन जुड़ा हुआ पाया गया है **इस बोरवैल हेतु विभाग से कोई अनापत्ति निर्गत नहीं है।**

2– हाईड आउट कैफे गंगा विहार, ऋषिकेश में विभागीय पेयजल संयोजन सं0 04950/NP 1083 से पेयजल आपूर्ति प्राप्त की जा रही है एवं कैफे में कोई बोरवैल स्थापित नहीं पाया गया है। **संलग्न–06**

अतः होटल गंगा फारेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे के सम्बन्ध मे उपरोक्तानुसार प्राप्त आख्या/वस्तुस्थिति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की सेवा मे सादर प्रेषित है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीया,

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपिः– श्री दीपक बोरा, पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

2– हाईड आउट कैफे गंगा विहार, ऋषिकेश में विभागीय पेयजल संयोजन सं0 04950/NP 1083 से पेयजल आपूर्ति प्राप्त की जा रही है एवं कैफे में कोई बोरवैल स्थापित नहीं पाया गया है। **संलग्न–06**

अतः होटल गंगा फारेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे के सम्बन्ध मे उपरोक्तानुसार प्राप्त आख्या/वस्तुस्थिति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की सेवा मे सादर प्रेषित है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीया,

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपिः– श्री दीपक बोरा, पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

जिलाधिकारी
17 MAY 2024
देहरादून

A.D.M F/R

दिनांक 17/5
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

संख्याः— 100 /एस0पी0ए0—विविध पत्रा—2024 दिनांक 16 मई 2024

विषयः— **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या— 463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेशों के क्रम में दिनांक 1405.2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के कार्यवृत्त आदेश संख्या 69/एल0बी0सी0—2024 दिनांक 15, मई 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त कार्यवृत्त में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या—463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 में दिए गये निर्देशों के क्रम में होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू तथा हाईड आउट कैफे का दिनांक 15.05.2024 को समय 11:00 बजे निम्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया—

जिला पर्यटन विकास अधिकारी देहरादून, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, अधिशासी अभियन्ता ,यूजेवीएन लिमिटेड ऋषिकेश, सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ऋषिकेश, सहायक अभियन्ता, सब डिवीजन (गंगा) उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड देहरादून, जलकल अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश, तहसीलदार ऋषिकेश।

जिलाधिकारी महोदय देहरादून के बैठक कार्यवृत्त में निर्देशित/उल्लेखित बिन्दु संख्या 01 से 04 बिन्दुओं के सम्बन्ध में टिप्पणी/आख्या निम्नवत् है—

बिन्दु स0 1— <u>होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे Flood plain Zone के अन्दर या बाहर ळें</u>

उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून के कार्यालय पत्रांक 1140/सिं0ख0दे0/कैम्प दिनांक 16.04.2024 के द्वारा अपनी **<u>संलग्न—01</u>** जांच आख्या में अवगत कराया कि होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे दोनों ही सम्पत्तियां जनपद देहरून के अन्तर्गत ऋषिकेश में गंगा नदी के दायें तट पर स्थित गंगा नदी बाढ़ परिक्षेत्र के प्रतिषिद्धि (25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति) एवं निर्बन्धित जोन (100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति) की सीमा से बाहर है। **<u>संलग्न—02</u>** अधिसूचना सं0 727/II(2)-2022,06 (18)2020 दिनांक 13 जुलाई 2022 एवं अन्तिम अधिसूचना सं0 41/ II(2)-2024-,06 (18)2020 दिनांक 18 जनवरी 2024 **<u>संलग्न—03</u>** है।

<u>बिन्दु स0 2— होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे में सीवर का निस्तारण किस प्रकार किया जा रहा है, अगर होटलों में सेप्टिक टैंक /सोकपिट बना हुआ है, तो वह कितनी क्षमता का है।</u>

उक्त के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता सब–डिवीजन (गंगा) उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश ने अपने कार्यालय पत्रांक 63/ऋषि0जलो0यो0/2024–25 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा अपनी संलग्न–04 जांच रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि गंगा फॉरेस्ट व्यू में सीवर लाइन न होने के कारण उक्त होटल सीवर लाइन से संयोजित नही है। होटल के लीज ऑनर श्री रविकान्त राजपूत द्वारा अवगत कराया गया कि रूम नं0 01 के फर्श के नीचे सैप्टिक टैंक बना है, जिसके फर्श की टाइल्स को लीज ऑनर की अनुमति के उपरान्त तोडा गया, जिसमें पाया गया कि वहॉ पर सैप्टिक टैंक न होकर लगभग 2 फुट x 2फुट x 4फुट(ल0 x चौ0 x ग0) का चैम्बर बना है। उक्त चैम्बर का उत्प्रवाह रूम नं0– 05 के बाहर बरामदे की ओर जा रहा था तथा वहॉ पर भी टाइल्स तोडकर कवर हटाकर देखा गया। उक्त स्थान पर भी सैप्टिक टैंक न होकर लगभग 1 फुट x 1 फुट x 4 फुट का चैम्बर है। उसके उपरान्त लीज ऑनर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त चैम्बर से उत्प्रवाह रूम नं0 – 04 के बाथरूम के नीचे स्थित सैप्टिक टैंक में जा रहा है। उक्त बाथरूम के फर्श की टाइल्स को तोडकर भी देखा गया वहॉ पर भी सैप्टिक टैंक नही था। उक्त होटल के निरीक्षण के दौरान कोई सैप्टिक टैंक दृश्यमान नहीं हुआ तथा न ही स्थल पर उपस्थित लीज ऑनर सैप्टिक टैंक दिखा पाये । तत्पश्चात् उक्त होटल के सामने मैरीन ड्राई पर (गंगा नदी की ओर) निरीक्षण, किया गया, जिसके दौरान पाया गया कि वर्तमान में गंगा नदी के जल स्तर से ऊपर कोई सीवेज का उत्प्रवाह गंगा नदी में जाता हुआ दृश्यमान नही हुआ है।

हाईड आउट गंगा कैफे– उक्त कैफे के शौचालय को सीवर से जोड़ा गया है कि जिसके बिल की मांग सं0 04916/NP 3331 एवं उपभोक्ता सं0– RI22NP02N23C010996572 है ।

बिन्दु स0 3– होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे का मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत है अथवा नहीं।

उक्त के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण शाखा कार्यालय ऋषिकेश ने अपने पत्रांक 2281/विविध/24–25 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट **संलग्न–05** में अवगत कराया गया कि होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे दोनों मालिकों द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं कराये गये है। उक्त दोनों ही सम्पत्ति मालिकों को नोटिस भेजा गया कि दिनांक 16.05.2024 तक अद्योहस्तक्षरी/पीठासीन अधिकारी मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण शाखा कार्यालय ऋषिकेश को मय स्वीकृत मानचित्र सहित पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना सुनिश्चित करे। दिनांक 16.05.2024 तक कोई संतोषजनक कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया। जिस कारण दिनांक 16.05.2024 को सुनवाई उपरान्त स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण होटल गंगा फारेस्ट व्यू तथा हांईड आउट कैफे दोनो सम्पत्तियों को सहायक अभियन्ता मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण शाखा कार्यालय ऋषिकेश की टीम द्वारा सीलबन्द कर दिया गया है।

बिन्दु स0 04– होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे में जलापूर्ति किस प्रकार की जा रही है, यदि उनके द्वारा बोरवेल इत्यादि लगया गया है, तो उसकी स्वीकृति सम्बन्धित स्थानीय निकास/सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त है अथवा नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जलकल अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश ने अपने पत्रांक 201/2024–25 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट संलग्न–06 में निम्न प्रकार अवगत कराया गया है–

1– होटल गंगा फारेस्ट व्यू गली न0 06 वीरभद्र मार्ग ऋषिकेश कोई विभागीय पेयजल संयोजन निर्गत नहीं है एवं स्थल पर भी कोई विभागयी पेयजल संयोजन नहीं पाया गया है। गली न0 06 में एक निजी बोरवैल

लगा हुआ है। जिससे उक्त होटल द्वारा पेयजल आपूर्ति प्राप्त की जा रही है। इस बोरवैल से उक्त होटल का संयोजन जुड़ा हुआ पाया गया है। इस बोरवैल हेतु विभाग से कोई अनापत्ति निर्गत नहीं है।

2– हाईड आउट कैफे गंगा विहार, ऋषिकेश में विभागीय पेयजल संयोजन सं0 04950 / NP 1083 से पेयजल आपूर्ति प्राप्त की जा रही है एवं कैफे में कोई बोरवैल स्थापित नहीं पाया गया है।

अतः उक्तानुसार बिन्दुवार आख्या, सम्बन्धित सभी विभागों से प्राप्त अनुपालन आख्या तथा दोनों सम्पत्तियों की सील बन्द करने के पश्चात फोटोग्राफ्स मय संलग्नक महोदय की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

16/5/24

(कुमकुम जोशी)
उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

HIDEOUT

Hideout

345

346

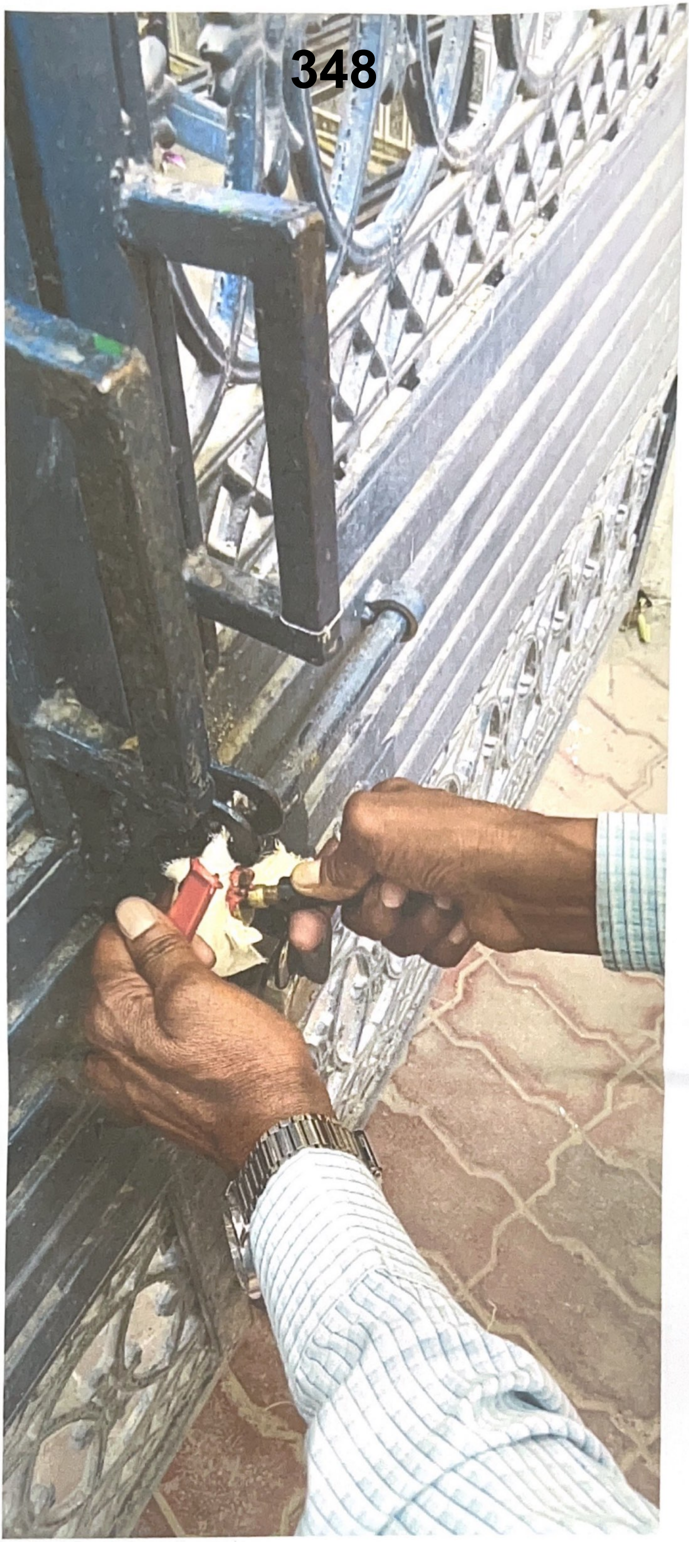

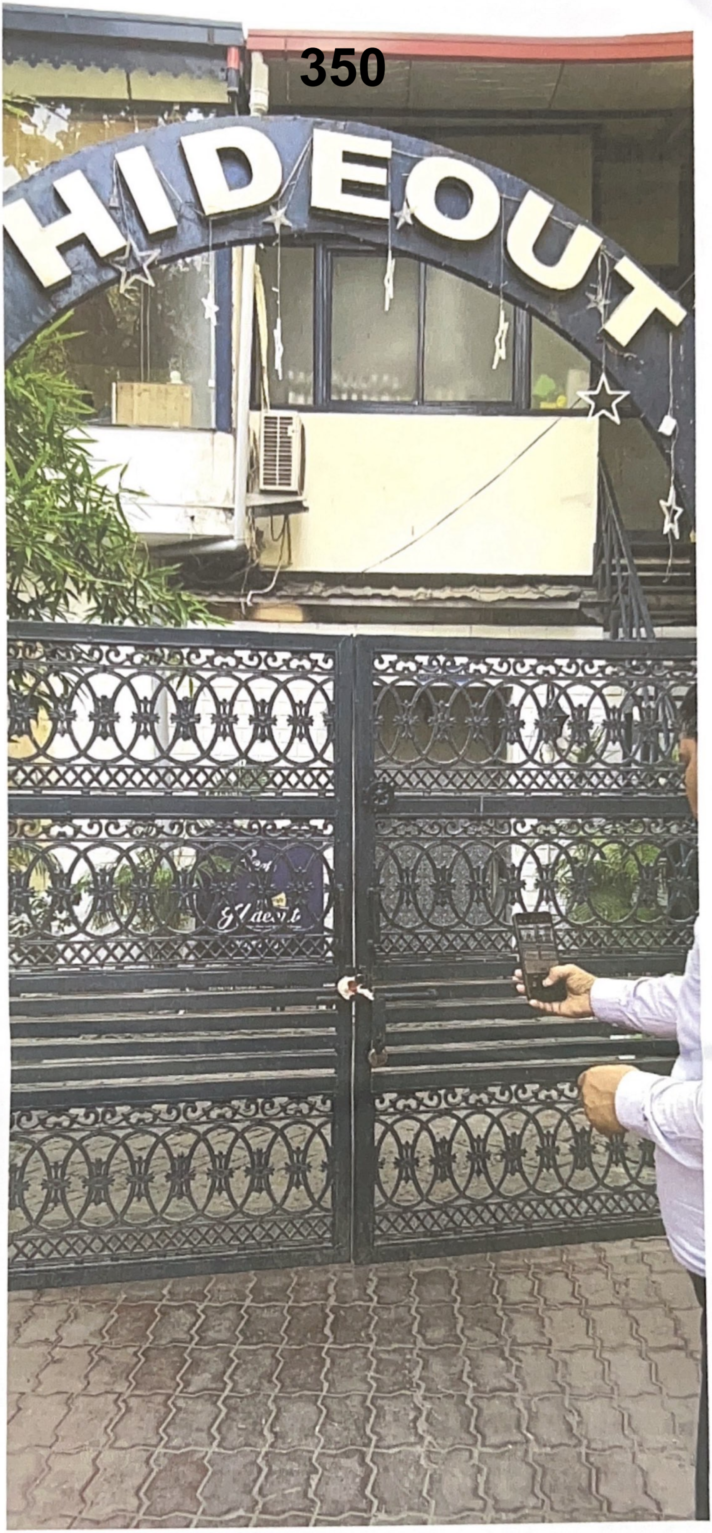
HIDEOUT

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवदेन संख्या–463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य मे पारित आदेशों के कम मे दिनांक 14.05.2024 को जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता मे आहूत बैठक का कार्यवृत्तः–

<u>उपस्थितिः–</u>

1:– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) देहरादून।
2:– नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश।
3:– उप जिलाधिकारी ऋषिकेश।
4:– अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन ऋषिकेश।
5:– अधिशासी अभियन्ता, यूजेवीएन ऋषिकेश।
6:– सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश।
7:– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून।
8:– क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
9:– सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्रधिकरण, ऋषिकेश।

1– बैठक मे उपस्थित समस्त अधिकारियों को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 22.03.2024 के अनुपालन मे नियत तिथि पर मा0 एन0जी0टी0 को वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे का पुनः दिनांक 15.04.2024 को संयुक्त निरीक्षण करते हुये संयुक्त निरीक्षण आख्या अनिवार्य रूप दिनांक 15.05.2024 तक इस कार्यालय मे उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। संयुक्त निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट मे निम्न बिन्दुओं पर भी प्रकाश डालते हुए टिप्पणी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

01:– होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे Flood Plain Zone के अन्दर या बाहर है ?
02:– होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे मे Sewer का निस्तारण किस प्रकार किया जा रहा है, अगर होटलों मे सेप्टिक टैंक/सोकपिट बना हुआ है, तो वह कितनी क्षमता का है ?
03:– होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे का मसूरी देहरादून विकास प्रधिकरण से नक्शा स्वीकृत है अथवा नही ?
04:– होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे मे जलापूर्ति किस प्रकार की जा रही है, यदि उनके द्वारा बोरवेल इत्यादि लगाया गया है, तो उसकी स्वीकृति सम्बन्धित स्थानीय निकास/सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त है अथवा नही ?

(कार्यवाही बैठक मे उपस्थित समस्त अधिकारी)

2– बैठक मे उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को निर्देशित किया गया कि वह प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे का निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिनांक 15.05.2024 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। जिलाधिकारी महोदया द्वारा पुंनः दिनांक 15.05.2024 को सांय 05:00 बजें संयुक्त निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट के सम्बन्ध मे बैठक आहूत की जायेगी।

(कार्यवाही बैठक मे उपस्थित समस्त अधिकारी)

अतः बैठक के अंत मे उपस्थित समस्त अधिकारियों को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 के अनुपालन मे पुनः दोनो होटलों का सम्बन्धित विभागों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर अनुपालन आख्या/रिपोर्ट दिनांक 15.05.2024 तक इस कार्यालय मे उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिससे नियत तिथि को सुनवाई के दौरान मा0 एन0जी0टी0 को वास्तुस्थिति व अनुपालन आख्या से अवगत कराया जा सकें।

(सोनिका)
जिलाधिकारी
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या 69 /एल0बी0सी0–2024 दिनांक 15 मई, 2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) देहरादून।
2– नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
3– उप जिलाधिकारी ऋषिकेश।
4– अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन ऋषिकेश।
5– अधिशासी अभियन्ता, यूजेवीएन ऋषिकेश।
6– सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश।
7– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून।
8– क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
9– सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्रधिकरण, ऋषिकेश।

जिलाधिकारी
देहरादून।

15/5/24

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड देहरादून

प्रेषित,

उपजिलाधिकारी
ऋषिकेश

पत्रांक–1141 / सिं०ख०दे० / कैम्प दिनांक–16/4/2024

विषय– एन०जी०टी० वाद सं० 463 / 2022 (I.A. N0. 157/2022) विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आज दिनांक 15.05.2024 को जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में NGT के वाद सं० 463 / 2022 (I.A. N0. 157/2022) विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के सम्बन्ध में (1) Hideout cafe, (Astha Path) 232/4 बैराज रोड़ कोयल घाटी गंगा बिहांर कालोनी ऋषिकेश (2) Hotal Ganga Forest view, 86/86-1 गली नं0 06, वीरभद्र मार्ग (आस्था पथ) ऋषिकेश का राजस्व विभाग, नगर निगम, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम, पेयजल निगम के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया।

बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त दोनों सम्पत्तियां जनपद देहरादूनल के अन्तर्गत ऋषिकेश में गंगा नदी के दायें तट पर स्थित गंगा नदी बाढ़ परिक्षेत्र के प्रतिषिद्धि (25 वर्षीय बाढ़ आवृति) एवं निर्बन्धित जोन (100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति) की सीमा से बाहर हैं।

संलग्नकः–1–अधिसूचना सं0 727 / II(2)-2022,06(18)2020 दिनांक 13 जुलाई 2022।
2–अन्तिम अधिसूचना सं0 41 / II(2)-2024-06(18)2020 दिनांक 8 जनवरी 2024।

सहायक अभियन्ता
उपखण्ड प्रथम ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड देहरादून

पत्रांक– / सिं०ख०दे० / कैम्प / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदया देहरादून को सादर सज्ञानार्थ प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता
उपखण्ड प्रथम ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड देहरादून

अधिसूचना संख्या :– / II(2)-2022 06(18)2020 दिनांक जुलाई 2022

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति सीमा में समस्त परिसम्पतियों के स्वामियों की पंजिका विवरण अनुसूची।

गंगा नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की प्रतिषिद्ध (Prohibited) अनुसूची–1

जनपद देहरादून के सीमान्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में ढालवाला ड्रेन से पशुलोक बैराज एवं पशुलोक बैराज से हरिपुर कलां तक गंगा नदी के दायें तट तक ऋषिकेश, खड़कमाफ, गौहरीमाफी, रायवाला एवं हरिपुर

परगना–परवादून / तहसील–ऋषिकेश / जिला–देहरादून

ग्राम का नाम	खाता खतौनी संख्या	खसरा नं0 / गाटा सं0	बाढ़ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू–उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
ऋषिकेश	58	58	2.0772	गंगा नदी	घाट एवं गंगा नदी		
	299	299	43.9176	गंगा नदी	घाट एवं गंगा नदी		
वीरभद्र	कक्ष संख्या–1	-	25.23	गंगा नदी का दाया किनारा एवं वन भूमि	जंगल–झाडी रेतीला		
	कक्ष संख्या–2	-	46.66	गंगा नदी का दाया किनारा एवं वन भूमि	जंगल–झाडी रेतीला		
खड़कमाफ	33, 84,181,291, 305, 410, 431, 439	22 मि0	5.2610	कृषि / बंजर	कृषि / बंजर	स0भू0 व श्रेणी–5	
	433,40,64,84,109, 180,181,258,291, 303, 305,328,351,410, 430, 433,431,437,440	23 मि0	18.0597	कृषि / आ0 / सिलिंग / बंजर	कृषि / आ0 / सिलिंग / बंजर	स0भू0 व श्रेणी–4 अ श्रेणी–5	
	159, 303	24 मि0	0.0540	कृषि	कृषि	स0भू0	
	50	25 मि0	0.1880	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	26 मि0	0.0430	बंजर	कृषि / आ0	श्रेणी–5	
	439	27 मि0	0.4630	बंजर	कृषि / आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	28 मि0	0.2820	बंजर	कृषि / आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	29 मि0	0.1190	बंजर	आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	439	30 मि0	0.2330	बंजर	कृषि / आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	31 मि0	0.0440	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	440	32 मि0	1.0600	बंजर	कृषि / आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	443	34, 35, 36, 110 मि0	1.0940	गंगा जी	खाली	श्रेणी–6(1)	
	439	37 मि0	0.4090	बंजर	खाली / कृषि	श्रेणी–5	
	440	38 मि0	0.1420	बंजर	कृषि	श्रेणी–5	
	251	39 मि0	0.2930	कृषि / आ0	कृषि / आ0	स0भू0	
	29,191	40 मि0	0.6570	कृषि / आ0	कृषि / आ0	स0भू0	
	49	46 मि0	0.0650	कृषि	कृषि	स0भू0	
	441	64 मि0	0.1000	नाला	नाला	श्रेणी–6(1)	

	442	101 मि0	0.0100	गूल	गूल	श्रेणी-6(1)	
	3, 34,72, 160,186, 192, 302, 320	106 मि0	0.0470	कृषि	कृषि	रा0भू0	
	34,72,160,245	107 मि0	0.0410	कृषि	कृषि	रा0भू0	
	34,41,42	108 मि0	0.7430	कृषि	कृषि / सड़क	रा0भू0	
	34,72,160	109 मि0	0.1170	कृषि	कृषि / सड़क	रा0भू0	
	108, 419	111 मि0	1.0530	कृषि	कृषि / सड़क	रा0भू0	
	76, 122, 186, 245	112 मि0	0.1000	कृषि	कृषि	रा0भू0	
	5,442	113 मि0	0.0650	कृषि / गूल	कृषि / गूल	रा0भू0 श्रेणी -6-1	
	353, 250, 318	114 मि0	0.5230	कृषि	कृषि	रा0भू0	
	303	122मि0	0.1500	कृषि	कृषि	रा0भू0	
	48,108,73,348	129 मि0	0.7290	कृषि	कृषि	रा0भू0	
	440	131 मि0	5.6500	बंजर	कृषि / पटटेदार	श्रेणी-5-3 (ड)	
	438	138, 139, 140मि0	42.5780	वन विभाग	वन / स्कूल	श्रेणी-5	
	445	22/141 मि0	0.3040	सड़क ग्राम	सड़क	श्रेणी-6(2)	
गौहरीमाफी	8, 22, 46, 67, 97,213, 308, 338, 360, 378, 409	162	1.549	कृषि	कृषि	रा0भूमिधर	
	125, 486	163	0.101	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन	स0भू0 श्रेणी-5	
	486	164	2.706	वन भूमि	वन	श्रेणी-5	
	125, 227, 420, 486	165	1.716	कृषि, वन	वन	स0भू0 श्रेणी-5	
	213, 486	166	0.032	कृषि, वन	वन	श्रेणी-5	
	483, 213, 486	169	3.042	कृषि, वन	कृषि, वन सीलिग	स0भू0 श्रेणी-5 श्रेणी-4	
	172, 378, 483	180	0.711	कृषि, सीलिंग	कृषि, सीलिंग	स0भू0 श्रेणी-4	
	483	181	0.740	कृषि, सीलिग	कृषि, सीलिंग	श्रेणी-4	
	486	167	0.105	वन भूमि	वन भूमि	श्रेणी-5	
	486	168	0.012	वन भूमि	वन भूमि	श्रेणी-5	
	491, 378, 16, 315, 406, 460, 468, 470, 483	250	nil	कृषि, नदी	कृषि, नदी	स0भू0 श्रेणी-6 (1)	
	486	252	0.285	वन भूमि	वन	श्रेणी-5	
	378, 486	253	2.438	कृषि, वन	वन	श्रेणी-5	
	486	254	0.1650	वन भूमि	वन	श्रेणी-5	
		255	52.970	वन भूमि, सीलिग नदी	वन भूमि, सीलिग, नदी	श्रेणी-5, श्रेणी-4, श्रेणी-6	
रायवाला	906, 909	395	3.268	बंजर, नदी	बंजर, नदी	श्रेणी-6 व 5	
	906, 291, 911, 828, 748, 910, 912, 916, 67, 20, 687, 914, 904	824	10.764	नदी (जलमग्न)	नदी	श्रेणी-6	
	904	807	19.665	वन भूमि	वन	श्रेणी-5	
	909, 904	825	68.833	नदी, वन भूमि	नदी, वन	श्रेणी-5 व 6	
हरिपुरकला	1564	531 ख	1.9000	बंजर भूमि	नदी	5-3-ड.	
	1376	556 ख	0.0600	कृषि	खाली	स0भू0	

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

अधिसूचना संख्या :– 727 / II(2)-2022 06(18)2020 दिनांक जुलाई 2022

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति सीमा में समस्त परिसम्पतियों के स्वामियों की पंजिका विवरण अनुसूची।

गंगा नदी बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की निर्वन्धित (Restricted) अनुसूची–2

जनपद देहरादून के सीमान्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में ढालवाला ड्रेन से पशुलोक बैराज एवं पशुलोक बैराज से हरिपुर कलां तक गंगा नदी के दायें तट तकऋषिकेश, खड़कमाफ, गौहरीमाफी, रायवाला एवं हरिपुर

परगना–परवादून / तहसील–ऋषिकेश / जिला–देहरादून

ग्राम का नाम	खाता खतौनी संख्या	खसरा नं0 / गाटा सं0	बाढ़ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू–उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
ऋषिकेश	58	58	2.6648	गंगा नदी	घाट एवं गंगा नदी	गंगा नदी	
	299	299	1.0193	गंगा नदी	घाट एवं गंगा नदी	गंगा नदी	
वीरभद्र	कक्ष संख्या–1	–	3.04	गंगा नदी का दाया किनारा वन भूमि	जंगल–झाडी रेतीला	गंगा नदी का दाया किनारा वन भूमि	
	कक्ष संख्या–2	–	7.30	गंगा नदी का दाया किनारा वन भूमि	जंगल–झाडी रेतीला	गंगा नदी का दाया किनारा वन भूमि	
खडकमाफ	4,33,40,64,84,109,180, 181,258,291,303,305,328, 351,410,430,433,431, 437,440	23 मि0	15.1000	कृषि / आ0 / सिलिंग / बंजर	कृषि / आ0 / सिलिंग / बंजर	स0भू0 व श्रेणी–4 अ श्रेणी–5	
	159, 303	24 मि0	0.2100	कृषि	कृषि	स0भू0	
	50	25 मि0	0.2000	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	26 मि0	0.0300	बंजर	कृषि / आ0	श्रेणी–5	
	439	27 मि0	0.3100	बंजर	कृषि / आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	28 मि0	0.2200	बंजर	कृषि / आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	29 मि0	0.2900	बंजर	कृषि / आ0 / पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	31 मि0	0.2800	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	443	34,35,36	0.7600	गंगा	खाली	श्रेणी–6–1	
	440	38 मि0	0.0600	बंजर	कृषि	श्रेणी–5	
	251	39 मि0	0.1100	कृषि / आ0	कृषि / आ0	स0भू0	
	29,191	40 मि0	0.1600	कृषि / आ0	कृषि / आ0	स0भू0	
	49	46 मि0	0.0950	कृषि	कृषि	स0भू0	
	441	64 मि0	0.0600	नाला	नाला	श्रेणी–6(1)	
	442	101 मि0	0.0450	गूल	गूल	श्रेणी–6(1)	
	31,409	105 मि0	0.3000	कृषि	कृषि	स0भू0	
	3,34,72,160,186,192,302, 320	106 मि0	0.7500	कृषि	कृषि	स0भू0	
	34,72,160,245	107 मि0	0.1000	कृषि	कृषि	स0भू0	
	34,41,42	108 मि0	0.2000	कृषि	कृषि / सड़क	स0भू0	

	34,72,160	109 मि0	0.0030	कृषि	कृषि / सड़क	स0भू0	
	108 ,419	111 मि0	0.2500	कृषि	कृषि / सड़क	स0भू0	
	76, 122 , 186 ,245	112 मि0	0.1800	कृषि	कृषि	स0भू0	
	5,442	113 मि0	0.0400	कृषि / गूल	कृषि / गूल	स0भू0 श्रेणी–6–1	
	353, 250 , 318	114 मि0	0.1100	कृषि	कृषि	स0भू0	
	303	122 मि0	0.2700	कृषि	कृषि	स0भू0	
	19 , 417 , 416 , 369	123 मि0	0.5820	कृषि	कृषि	स0भू0	
	167,306, 183	124 मि0	0.8720	कृषि	कृषि	स0भू0	
	348, 256,238	127 मि0	0.1490	कृषि	कृषि	स0भू0	
	174 ,114	128 मि0	0.3710	कृषि	कृषि	स0भू0	
	48,108,73,348	129 मि0	0.7200	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	131 मि0	1.3500	बंजर	बंजर / पटटेदार / वन / स्कूल	श्रेणी–5–3 (ड.)	
	438	138, 139, 140 मि0	3.0400	वन विभाग	वन / स्कूल	श्रेणी–5	
	445	22/141	0.3040	सडक खाम	सड़क	श्रेणी–6(2)	
गौहरीमाफी	170, 108, 180, 190	158	0.0205	कृषि		स0भू0	
	46, 338	159,60	0.012	गूल	रास्ता, गूल	श्रेणी–6	
	8, 22, 46, 67, 213, 308, 338, 360, 378, 409	162	0.768	कृषि	कृषि	स0भू0	
	125, 486	163	0.280	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन	स0भू0 श्रेणी–5	
	125, 227, 420, 486	165	0.373	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन	स0भू0 श्रेणी–5	
	213, 486	166	0.016	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन	स0भू0 श्रेणी–5	
	483, 213, 486	169	0.440	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन सीलिंग	स0भू0 श्रेणी–5 श्रेणी–4	
	172, 378, 483	180	0.124	कृषि, सीलिंग	कृषि, सीलिंग	स0भू0 श्रेणी–4	
	483	181	0.276	कृषि, सीलिंग	कृषि, सीलिंग	सीलिंग	
	491, 378, 16, 315, 406, 460, 468, 470, 483	250	1.176	कृषि, नदी	कृषि, नदी	स0भू0 श्रेणी–6(1)	
	132, 155, 378	251	1.386	कृषि	कृषि	स0भू0	
	486	252	0.070	वन सरकारी	वन	श्रेणी–5	
	378, 486	253	0.023	कृषि, वन	वन	श्रेणी–5	
	486	254	0.400	वन	वन	श्रेणी–5	
रायवाला	124	487	0.060	कृषि	कृषि	स0भू0	
	124	488	0.060	कृषि	कृषि	स0भू0	
	124	489	0.070	कृषि	कृषि	स0भू0	
	124	490	0.010	कृषि	कृषि	स0भू0	
	124	491	0.250	कृषि भूमि	कृषि	स0भू0	
	124	492	0.007	कृषि भूमि	गूल	स0भू0	
	719 ,291 ,124	493	0.125	कृषि भूमि	कृषि	स0भू0	
	719 ,911 ,909	494, 495	0.210	नदी, आबादी	नदी	स0भू0, श्रेणी–6	
	68, 911, 319, 719, 909	498	0.646	कृषि, नदी, आबादी	कृषि, नदी, आबादी	स0भू0 श्रेणी–6	
	68,319	500	0.200				

	906	503	0.369	बंजर कृषि	कृषि, भवन, बंजर, ग्रा०स०	रा०भू० श्रेणी–5	
	828	502	0.0025	आ०		स०भू०	
	828	504	0.0045			स०भू०	
	906, 291, 911, 828, 748, 910, 912, 916, 67, 20, 687, 914	824	2.334	नदी	नदी	श्रेणी–6	
	904	807	3.954	वन भूमि	वन	श्रेणी–5	
	906, 129, 907	804	3.547	कृषि, बंजर	बंजर	स०भू०,श्रेणी–5	
	906	808	0.140	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	906, 909	395	1.081	बंजर	नदी, बंजर	श्रेणी–6 व 5	
	96	462	0.166	कृषि, आबादी	कृषि	स०भू०	
	291, 153	463	0.159	कृषि	कृषि	स०भू०	
	829, 291	468	0.433	कृषि	कृषि	स०भू०	
	47	469	0.554	कृषि	कृषि	स०भू०	
	47	470	0.005	कृषि	कृषि	स०भू०	
	837	471	0.151	कृषि	कृषि	स०भू०	
	294, 291	472	0.250	कृषि	कृषि	स०भू०	
	241, 570, 291	473	0.362	कृषि	कृषि	स०भू०	
	241	474	0.100	कृषि	कृषि	स०भू०	
	89	476	0.154	कृषि	कृषि	स०भू०	
	209	477	0.154	कृषि	कृषि	स०भू०	
	440	478	0.110	कृषि	कृषि	स०भू०	
	185	479	0.571	कृषि	कृषि	स०भू०	
	440	480	0.070	कृषि	कृषि	स०भू०	
	440	481	0.200	कृषि	कृषि	स०भू०	
	440	482	0.082	कृषि	कृषि	स०भू०	
	906, 909, 291	483	0.449	कृषि, नाला	नाला	श्रेणी–6	
	906	484	0.101	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	906, 687	485	0.200	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	687, 124	486	0.372	कृषि	कृषि	स०भू०	
हरिपुरकलां	1376	556 ख	0.9200	कृषि/ आवासीय	बस्ती (सपेरा बस्ती)	स०भू०	
	1564	531 ख	2.5800	बंजर भूमि	नदी	5–3–ड.	
	436	532 ख	0.1200	आवासीय	आवास	स०भू०	

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

362

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2
संख्या 727/ ।।(2)–2022–06(18)/2020
देहरादूनः दिनांक, 13 जुलाई 2022

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार जनपद देहरादून के सीमान्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में ढालवाला ड्रेन से पशुलोक बैराज एवं पशुलोक बैराज से हरिपुर कलां तक गंगा नदी के दायें तट तक (ऋषिकेश, खड़कमाफ, गौहरीमाफी, रायवाला एवं हरिपुर परगना–परवादून) अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है;

और चूंकि राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है;

अतएव, अब, राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के संलग्नक अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर, भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियों और समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र मे पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level) से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

क्रमशः.......2

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते है कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

टिप्पणी– प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी देहरादून एवं प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट के साथ–साथ जिलाधिकारी, देहरादून के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

संलग्नकः यथोपरि।

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्या 727/II(2)–2022–06(18)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, गढवाल।
2. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक क्षेत्रीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराते हुए उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (देहरादून)।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
6. अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, सिंचाई खण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC देहरादून की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय, सहायक अभियन्ता सब–डिवीजन (गंगा),
उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश।
निकट अशोका होटल, हीरालाल रोड ऋषिकेश, देहरादून। mailto:aegangaujs@gmail.com

सेवा में,

उपजिलाधिकारी महोदया,
ऋषिकेश।

पत्रांक– 63 /ऋ0पि0जलो0यो0 /2024–25 दिनांक– 15/05/2024

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0– 463/2022 विपिन नैययर बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदया द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक– 15.05.2024 किये गये संयुक्त निरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0– 463/2022 विपिन नैययर बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेशों के क्रम में दिनांक– 15.05.2024 को जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशों के क्रम में गठित जॉच समिति द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण की आख्या निम्नानुसार है।

1. **गंगा फोरेस्ट व्यू–** उक्त होटल का निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थान पर सीवर लाइन न होने के कारण उक्त होटल सीवर लाइन से संयोजित नही है। होटल के लीज ऑनर श्री रविकान्त राजपूत द्वारा अवगत कराया गया कि रूम नं0– 001 के फर्श के नीचे सैप्टिक टैंक बना है, जिसके फर्श की टाइल्स को लीज ऑनर की अनुमति के उपरान्त तोड़ा गया, जिसमें पाया गया कि वहॉ पर सैप्टिक टेंक न होकर लगभग 2फुटx 2फुटx 4फुट (ल0xचौ0xग0) का चैम्बर बना है। उक्त चैम्बर का उत्प्रवाह रूम नं0– 005 के बाहर बरामदे की ओर जा रहा था तथा वहॉ पर भी टाइल्स तोडकर कवर हटाकर देखा गया। उक्त स्थान पर भी सैप्टिक टैंक न होकर लगभग 1फुटx 1फुटx 4फुट का चैम्बर है। उसके उपरान्त लीज ऑनर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त चैम्बर से उत्प्रवाह रूम नं0– 004 के बाथरूम के नीचे स्थित सैप्टिक टैंक में जा रहा है। उक्त बाथरूम के फर्श की टाइल्स को तोडकर भी देखा गया वहॉ पर भी सैप्टिक टैंक नही था। अर्थात उक्त होटल के निरीक्षण के दौरान कोई सैप्टिक टेंक दृश्यमान नही हुआ तथा न ही स्थल पर उपस्थित लीज ऑनर सैप्टिक टैंक दिखा पाये। तत्पश्चात् उक्त होटल के सामने मैरीन ड्राईव पर (गंगा नदी की ओर) निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान पाया गया कि वर्तमान में गंगा नदी के जल स्तर से ऊपर कोई सीवेज का उत्प्रवाह गंगा नदी में जाता हुआ दृश्यमान नही हुआ है।

2. **हाईड आउट गंगा कैफे–** उक्त कैफे का निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान पाया गया कि हाईड आउट गंगा कैफ के शौचालय को सीवर से जोड़ा गया है, जिसके बिल की मॉग सं0– 04916/NP3331 एवं उपभोक्ता सं0– RI22NPN02N23C010996572 है।

संलग्नक– फोटोग्राफ।

भवदीय

(आशीष कुमार)
कनिष्ठ अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
ऋषिकेश।

भवदीय

15/05/2024

(हरीश कुमार बंसल)
सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
ऋषिकेश।

Room No 005 का बरामदा

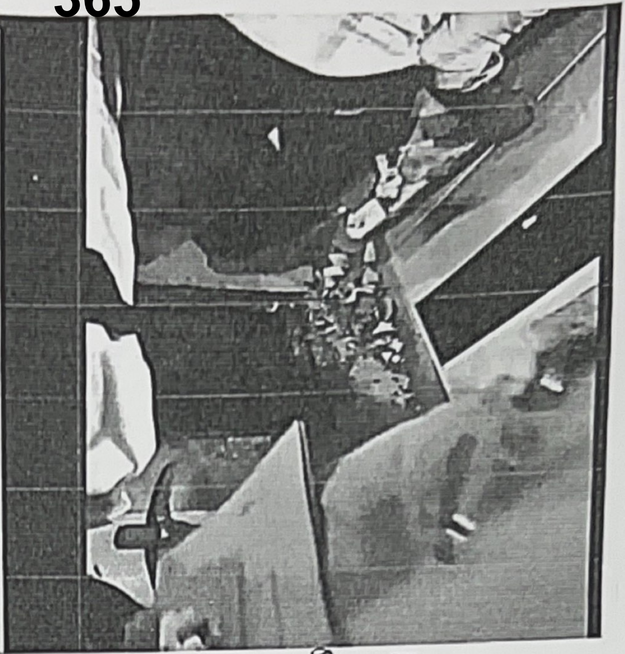

रूम नं0 001 का चौखट

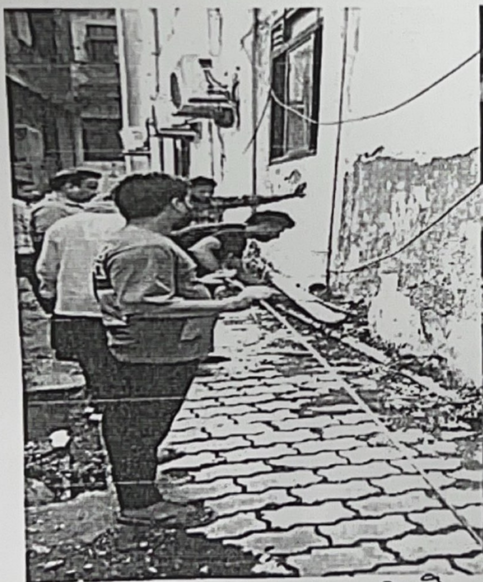

Connectivity Check करते हुये

रूम नं0 004 के बाथरूम का फर्श

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषि[illegible]नी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

2281 / विविध / 24–25

दिनांक–15 / 5 / 2024

उपजिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

सन्दर्भ:– पत्रांक संख्या मेमो / एस0पी0ए0–विविध पत्र 2024

विषयः– दिनांक 15.05.2024 को एच.जी.टी. नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 463 / 2022 विपिन नैययर बनाम युनियन ऑफ इण्डिया में आई0ए0 न0–311 / 2022 पर संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त आख्या के सम्बन्ध में।

महोदया जी,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में आज दिनांक 15.05.2024 को पूर्वाहनः 11:00 बजे उक्त स्थल निरीक्षण से सम्बन्धित स्थलों की संयुक्त निरीक्षण में एम0.डी0डी0ए0 की ओर से निम्न अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहे।

1–सुरजीत सिंह रावत, सहायक अभियन्ता

2–संजय जगुडी, कनिष्ठ अभियन्ता

निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

उक्त संयुक्त स्थल निरीक्षण की शुरूआत उपजिलाधिकारी महोदया जी के नेतृत्व में विभिन्न सम्बन्धित विभागों के अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति में हाईड आउट कैफे, साईं घाट रोड, ऋषिकेश एवं होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू, वीरभद्र रोड, गली न–6, ऋषिकेश के निरीक्षण से किया गया, जिसमें निम्न बिन्दु एम0डी0डी0ए0 की ओर से सामने आये।

1–स्थल निरीक्षण के दौरान हाईड आउट कैफे के मालिक द्वारा उक्त कैफे का कोई स्वीकृत मानचित्र नही दिखाया गया।

2–इस सम्बन्ध में उक्त प्रकरण में एम0डी0डी0ए0 द्वारा दिनांक 06.05.2024 को हाईड आउट कैफे के मालिक को नोटिस भेजा गया, जिसकी सुनवाई 16.05.2024 को महोदया जी के समक्ष पिठासीन आधिकारी के रुप मे सुनी जानी है। तत्पश्चात निर्गत आदेशों की अनुपालना की जायेगी।

3–यह भी विपक्षी को विदित कराया गया कि 16.05.2024 को मय स्वीकृत नक्शे सहित पिठासीन महादेया जी के समक्ष प्रस्तुत होना सुनिश्चित करें।

4– स्थल निरीक्षण के दौरान होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू के प्रतिनिधि द्वारा उक्त होटल का कोई स्वीकृत मानचित्र नही दिखाया गया।

5– इस सम्बन्ध मे उक्त प्रकरण में एम0डी0डी0ए0 द्वारा दिनांक 06.05.2024 को होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू के मालिक को नोटिस भेजा गया, जिसकी सुनवाई 16.05.2024 को महोदया जी के समक्ष पिठासीन आधिकारी के रुप मे सुनी जानी है। तत्पश्चात निर्गत आदेशों की अनुपालना की जायेगी।

6–यह भी विपक्षी को विदित कराया गया कि 16.05.2024 को मय स्वीकृत नक्शे सहित पिठासीन महादेया जी के समक्ष प्रस्तुत होना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(सुरजीत सिंह रावत)
सहायक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय ऋषिकेश।

कार्यालय
जलकल अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान
डी0जी0बी0आर0 रोड़, ऋषिकेश – 249201
E-mail id - wwe.ujsrks@gmail.com फोन एवं फैक्स न0 (0135) 6633483

सेवा मे,

उपजिलाधिकारी महोदया,
ऋषिकेश।

पत्रांक: 201 /2024–25 दिनॉक: 15.05.2024

विषय: <u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेशों के क्रम में दिनॉक 14.05.2024 को जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदया, देहरादून के कार्यालय पत्रांक 69/एल0बी0सी0–2024 दिनॉक 15.05.2024 के क्रम में एवं आप द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता श्री विरेन्द्र सिंह राणा एवं फिटर जितेन्द्र राजभर के साथ दिनॉक 15.05.2024 को होटल गंगा फारेस्ट व्यू, गली नं0 06, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश एवं हाईड आउट कैफे, गंगा विहार, ऋषिकेश में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसकी आख्या निम्नानुसार है।

1. होटल गंगा फारेस्ट व्यू, गली नं0 06, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश को कोई विभागीय पेयजल संयोजन निर्गत नहीं है एवं स्थल पर भी कोई विभागीय पेयजल संयोजन नहीं पाया गया है। गली नं0 06 में एक निजी बोरवैल लगा हुआ है जिससे उक्त होटल द्वारा पेयजल आपूर्ति प्राप्त की जा रही है। इस बोरवैल से उक्त होटल का संयोजन जुड़ा हुआ पाया गया है। इस बोरवैल हेतु विभाग से कोई अनापत्ति निर्गत नहीं है।
2. हाईड आउट कैफे, गंगा विहार, ऋषिकेश में विभागीय पेयजल संयोजन सं0 04950/NP1083 से पेयजल आपूर्ति प्राप्त की जा रही है एवं कैफे में कोई बोरवैल स्थापित नहीं पाया गया है।

सूचनार्थ हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय

जलकल अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
ऋषिकेश

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु सादर प्रेषित।
1. अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा0), उत्तराखण्ड जल संस्थान, 95, राजपुर रोड़, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, 60/1, एक्वा हाउस, नियर अनुराग चौक, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3. कनिष्ठ अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश।

जलकल अभियन्ता

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001
टेलीफोन न.–0135–3593200..

UTTARAKHAND UKPCB

LiFE Lifestyle For Environment

पत्रांक सं0–यूईपीपीसीबी / आरओडी / एन.जी.टी.–55 / 2024–25 / 614 – 369

दिनांक 15/5/24

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–463 / 2022 विपिन नैय्यर बनाम् यूनियन बनाम् संघ व अन्य के सम्बंध में।

आज दिनांक 15.04.2024 को जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में मा0 एन0जी0टी0 के वाद संख्या 463 / 2022 (I.A.No 157/2022) विपिन नैय्यर बनाम् यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के सम्बंध में (1)– मै0 गंगा फॉरेस्ट व्यू, 86 / 86–1, गली नं.–06, वीरभद्र रोड, आस्था पथ, ऋषिकेश, (2)– मै0 हाइड आउट कैफे, (आस्था पथ) 232 / 4, बैराज रोड, कोयल घाटी, गंगा विहार कालोनी, ऋषिकेश, का संयुक्त निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के सम्बंध निम्न बिन्दु प्रकाश में आयेः–

- **मै0 गंगा फॉरेस्ट व्यू, 86 / 86–1, गली नं.–06, वीरभद्र रोड, आस्था पथ, ऋषिकेश, देहरादून।**

1. उक्त होटल में 11 कमरें, 01 स्टोर रूम तथा एक किचन है।
2. घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सैप्टिक टैंक / सोकपिट के माध्यम से किया जा रहा है। बाहर कोई निस्तारण होता नहीं पाया गया।
3. होटल को बोर्ड द्वारा जल–वायु सहमति निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 30.09.2024 तक है।

- **मै0 हाइड आउट कैफे, 232 / 4, बैराज रोड, कोयल घाटी, गंगा विहार कालोनी, ऋषिकेश, देहरादून।**

1. उक्त कैफे 45 सीट क्षमता का (सीटिंग कैपेसिटी) रेस्टोरेंट है।
2. घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सीवर लाईन के माध्यम से किया जा रहा है। बाहर कोई निस्तारण होता नहीं पाया गया।
3. कैफे को दिनांक 30.09.2027 तक बोर्ड से सहमति प्राप्त है।
4. कैफे में 15 के.वी.ए. का डी.जी.सेट स्थापित है।

अतः आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत ।

(डॉ आर.के. चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश।
हरिद्वार रोड ऋषिकेश, जिला देहरादून पिन कोड-249201
www.nagarnigamrishikesh.com, npprishikesh@gmail.com

नगर निगम ऋषिकेश

दिनांक 15.05.2024

पत्रांक 320/(11)स्वा0अनु0/2024–25

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
जनपद–देहरादून।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः–463/482/2022 विपिन नैय्यर व नाम यूनियन ऑफ इण्डिया में गठित संयुक्त जांच समिति की आख्या दिनांकः– 14.05.2024 को जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आहूत बैठक के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः–463/482/2022 विपिन नैय्यर व नाम यूनियन ऑफ इण्डिया में गठित संयुक्त जांच समिति की आख्या दिनांक :– 14.05.2024 के सम्बन्ध में की गयी नगर निगम ऋषिकेश की ओर से अद्यतन कार्यवाही की संयुक्त आख्या निम्नानुसार है :–

वर्णित दोनों प्रतिष्ठानों का आज दिनांकं 15.05.2024 को दोपहर :– 12:30 बजे संयुक्त निरीक्षण किया गया और पाया कि –

1. **गंगा फॉरेस्ट व्यू** :– गंगा फॉरेस्ट व्यू का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें इनके द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत कूडा वाहन कलैक्शन का यूजर चार्ज समय से जमा किया जा रहा है।
2. **हाईड आउट कैफे**:– हाईड आउट कैफे निकट गंगा विहार आस्था पथ का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें इनके द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत कूड़ा वाहन कलैक्शन का यूजर चार्ज समय से जमा किया जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है।

(संतोष गुसांई)
सफाई निरीक्षक
नगर निगम ऋषिकेश।

(चन्द्रकान्त भट्ट)
सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम ऋषिकेश।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम ऋषिकेश।
2. उपजिलाधिकारी महोदया, ऋषिकेश।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम ऋषिकेश।

Scanned with OKEN Scanner

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
UJVN LIMITED
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (सिविल), पशुलोक बैराज, ऋषिकेश–249203, दूरभाष–0135–2450378, फैक्स नं0–0135–2456988
Office of the Executive Engineer (Civil), Pashulok Barrage, Rishikesh-249203, Phone-0135-2450378, Fax-0135-2456988

No. M- 26 /UJVNL/EE(C-Pashulok Barrage)/ Dated: 04.05.2024

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
जिला– देहरादून।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन 463/2022 श्री विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में I.A. No-311/2022 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 28/एल0बी0सी0–2024, दिनांक 30.04.2024 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन 463/2022 श्री विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सम्बन्ध में इस कार्यालय से सम्बन्धित आख्या उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन 463/2022 श्री विपिन नैय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में I.A.No-311/2022 के सम्बन्ध में इस कार्यालय से कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(ललित्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता(सिविल)